

**कार्यालय,
संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)**

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)
दूरभाष क्रमांक 0771-3510989 ईमेल jdeduraipur@gmail.com

आदेश

क्र./सतर्कता/एफ-476 BBZR/2025/ 3020

रायपुर, दिनांक 06 AUG 2025

जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. का पत्र क्रमांक/वे.वृ.रोकने/2025/ 7299 बलौदाबाजार, दिनांक 06.08.2025 द्वारा श्री रविलाल साहू शिक्षक एल.बी., श्री नेमीचंद बघेल शिक्षक एल.बी. एवं श्रीमती नामप्यारी ध्रुव शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर वि.ख.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. का एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर, वि. ख.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में दिनांक 28.07.2025 को रसोईया द्वारा बनाये गये मध्यान्ह भोजन में करेला एवं आलू की मिक्स सब्जी को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिये जाने के बाद भी रसोईया एवं प्रधानपाठक द्वारा जानबुझकर परोसे जाने की शिकायत दिनांक 01.08.2025 को विभिन्न समाचार चैनलों में प्रसारित/प्रकाशित हुआ है। समाचार चैनलों से 84 बच्चों को मध्यान्ह भोजन सेवन पश्चात गुपचुप तरीके से एंटी-रैबीज टीका भी लगवाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उपरोक्त पत्र अनुसार उक्त घटनाक्रम में संस्था में पदस्थ शिक्षक श्री रविलाल साहू शिक्षक एल.बी., श्री नेमीचंद बघेल शिक्षक एल.बी. एवं श्रीमती नामप्यारी ध्रुव शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर वि.ख.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को जानबुझकर उक्त तथ्य को छिपाने हेतु सहयोग किया जाना पाया गया है। उनका उक्त कृत्य कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

एतद् द्वारा श्री रविलाल साहू शिक्षक एल.बी., श्री नेमीचंद बघेल शिक्षक एल.बी. एवं श्रीमती नामप्यारी ध्रुव शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर वि.ख.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है।

(संजीव श्रीवास्तव)
संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./सतर्कता/एफ-476 BBZR/2025/ 3021
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 06 AUG 2025

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधितों को आदेश तत्काल तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालयीन स्था.-2, को सूचनार्थ।
7. श्री रविलाल साहू शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर वि.ख.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. श्री नेमीचंद बघेल शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर वि.ख.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. श्रीमती नामप्यारी ध्रुव शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला लच्छनपुर वि.ख.-पलारी, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(संजीव श्रीवास्तव)
संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग-रायपुर (छ.ग.)